उपायुक्त का कार्यालय, (जिला कल्याण शाखा), गिरिडीह।

कल्याण गुरूकुल नया एस0टी0 हॉस्टल (सिद्धू–कान्हू स्कुल के पास) पीरटाँड़ (गिरिडीह) में नामाकंन हेतु।

आवश्यक सूचना

झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग एवं पैन0आई0आई0टी0 एलुमनि रीच फॉर फॉउन्डेशन द्वारा कल्याण गुरूकुल नया एस0टी0 हॉस्टल (सिद्धू–कान्हू स्कूल के पास) पीरटाँड़ (गिरिडीह) में संचालित किया जा रहा है। कल्याण गुरूकुल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार उम्मिदवार जिनकी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में है एवं जो मैट्रीक पास है उन उम्मिदवारों को मैनलिफट मशीन ऑपरेटर ट्रेड में 60 दिनों का पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त सफल उम्मिदवारों को भारत की प्रतिष्ठत कंपनियों में नियोजित किया जायेगा। संबंधित प्रतिष्ठित कंपनियों में कार्य करने पर उम्मिदवारों को 8000–10000 रूपया मासिक वेतन के अलावा ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 एवं रहने की आवासीय सुविधा मुहैया करायी जायेगी। इच्छुक उम्मिदवार प्रशिक्षण केन्द्र के लिए नामांकन की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मोबाइल संख्या 7541035027,7484067607 एवं 9873186784 पर सम्पर्क करें। कल्याण गुरूकुल में अन्य ट्रेडों में जैसे राजमिस्त्री/सरियामिस्त्री/पलम्बर में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। गुरूकुल में आकर भी प्रशिक्षण की पुरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिनांक 10.12.2017 तक सम्पर्क स्थापित कर नामांकन करा सकते हैं।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1628/क0 दिनांक 24/11/2017

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कम से कम तीन दैनिक समाचार पत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं सूचना को जिला के बेवसाइट www.giridih.nic.in पर अपलोड करने हेतु pdf प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

Oder